

राजस्थान सरकार
निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ.1(ए)102/स्था./पार्ट-10/संस्था/2015/ 184

दिनांक: 30.6.15

आदेश

इस विभाग के निम्नांकित कार्मिकों का इनके नाम के सम्मुख अंकित कार्यालय में तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरण/पदस्थापन किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम कर्मचारी	पदनाम	वर्तमान पदस्थापन	नवीन पदस्थापन	विवरण
1.	श्री गोविन्द कुमार पाल	लिपिक ग्रेड प्रथम	करौली	भरतपुर	रिक्त पद पर
2.	श्री सुनील कुमार जैन	लिपिक ग्रेड प्रथम	चित्तौडगढ	भीलवाडा	रिक्त पद पर
3.	श्री भँवरलाल कोली	लिपिक ग्रेड प्रथम	चित्तौडगढ	भीलवाडा	रिक्त पद पर
4.	सुश्री आशा शर्मा	लिपिक ग्रेड प्रथम	मुख्यालय जयपुर	अलवर	सहायक कार्यालय अधीक्षक के रिक्त पद के विरुद्ध
5.	श्रीमती मीना जैन	लिपिक ग्रेड प्रथम	नागौर	बीकानेर	सहायक कार्यालय अधीक्षक के रिक्त पद के विरुद्ध
6.	श्रीमती सुमंगला जैन	लिपिक ग्रेड द्वितीय	जयपुर ग्रामीण	मूल्यांकन अनुभाग (बीमा) मुख्यालय जयपुर	रिक्त पद पर
7.	श्री विजेन्द्र सिंह राव	लिपिक ग्रेड द्वितीय	भरतपुर	करौली	रिक्त पद पर
8.	श्री श्यामसुन्दर जाँगिड	लिपिक ग्रेड द्वितीय	जोधपुर ग्रामीण	नागौर	रिक्त पद पर
9.	श्री विकास बिंवाल	लिपिक ग्रेड द्वितीय	मुख्यालय जयपुर	जयपुर ग्रामीण	रिक्त पद पर

पूर्व में जारी समसंख्यक आदेश क्रमांक 156 दिनांक 15.06.2015 के क्रम संख्या 6 एवम् 36 पर अंकित क्रमशः श्री चन्द्रमोहन पारीक, पर्यवेक्षक का मुख्यालय जयपुर से सचिवालय जयपुर तथा श्री धर्मवीर नैण, लिपिक ग्रेड द्वितीय का हनुमानगढ से चूरु किया गया स्थानान्तरण/पदस्थापन निरस्त किया जाता है। श्री चन्द्रमोहन पारीक, पर्यवेक्षक को वित्तीय सलाहकार मुख्यालय के नियंत्रणाधीन लगाया जाता है।

उपर्युक्त कार्मिकों का स्थानान्तरण/ पदस्थापन स्वयं की प्रार्थना पर किये जाने के फलस्वरूप योगकाल/यात्राभत्ता देय नहीं है।

समस्त कार्मिक बिना कार्यग्रहण काल का उपभोग किये अपने नवीन पदस्थापन स्थान पर तुरन्त प्रभाव से कार्यग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।

निदेशक महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

(अनुप्रेरणा कुन्तल)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
राज्य बीमा एवम् प्रावधायी निधि विभाग,
राजस्थान जयपुर

क्रमांक: एफ.1(ए)102/स्था./पार्ट-10/संस्था/2015/4755-4780 दिनांक: 30.6.15

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बीमा/पेंशन) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक महोदय, मुख्यालय जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) मुख्यालय जयपुर।
4. वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक(बीमा/पीएफ/एनपीएस/सतर्कता/सा.बी.यो.) मुख्यालय जयपुर।
5. वरिष्ठ अतिरिक्त /अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवम् प्रा.नि. विभाग संभाग कार्यालय
6. वित्तीय सलाहकार, राज्य बीमा एवम् प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान जयपुर।
7. संयुक्त निदेशक(संस्थापन/जनसम्पर्क एवम् मुख्यालय), राज्य बीमा एवं प्राव. निधि विभाग, राजस्थान जयपुर।
8. संयुक्त/उप/सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवम् प्रा.नि. विभाग, जिला कार्यालयों को प्रेषित कर लेख है कि अविलम्ब संबंधित कर्मचारियों को कार्यमुक्त करें एवम् कार्यग्रहण करने वाले कर्मचारियों के कार्यग्रहण की रिपोर्ट मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
9. उप निदेशक (सिस्टम)/ए.सी.पी.मुख्यालय को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
10. सम्बन्धित कार्मिकगण।
11. कैंडर स्ट्रेन्थ लिपिक/वरिष्ठ निर्धारक लिपिक/सेवापुस्तिका लिपिक।
12. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

विजय कुमार पारीक
30/6/15

(विजय कुमार पारीक)
संयुक्त निदेशक (संस्थापन)
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग
राजस्थान जयपुर